भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 876

09 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

खरीद गतिविधियों के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य

876. श्री सतीश चंद्र दूबे:

श्री ईरण्ण कडाडी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि किसानों को खरीद गतिविधियों के माध्यम से लाभकारी मूल्य मिले;

(ख) वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक गेहूं और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) खरीद गतिविधियों से कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और उपर्युक्त समय अवधि के दौरान खरीदे गए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): किसानों से केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) विनिर्देशों के साथ गेहूं, धान और मोटे अनाज/मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद प्रत्येक राज्य के लिए अनुबद्ध खरीद अवधि के भीतर की जाती है। तथापि, यदि किसी उत्पादक/किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तुलना में बेहतर मूल्य मिलता है, तो वे अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान खरीद गतिविधियों के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त करे, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार/एफसीआई किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करने के लिए खरीद योजनाएं बनाती हैं।

(ii) खेती के तहत क्षेत्र, उत्पादन, वर्षा डाटा से संबंधित राज्य सरकार, कृषि मंत्रालय, भारत मौसम विभाग (आईएमडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के इनपुट के आधार पर खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान प्रत्येक वर्ष जुलाई/अगस्त के महीने में खरीफ फसलों के लिए खरीद अनुमान और खरीद की अवधि की योजना बनाई जाती है, जबकि रबी फसलों के लिए यह खरीद अनुमान और खरीद अवधि की योजना फरवरी/मार्च के महीने में बनाई जाती है।

.....2/-

(iii) खरीद केंद्र, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों/एफसीआई द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक/बुनियादी अवसंरचना जैसे भंडारण एवं परिवहन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अलावा बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केन्द्र किसानों की सुविधा के लिए मुख्य स्थानों पर स्थापित किए गए हैं।

(iv) किसानों को उनकी उपज को विनिर्देशों के अनुरूप लाने में सुविधा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता विनिर्देशों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जागरूक किया जाता है।

(v) एफसीआई और सभी खरीद करने वाले राज्यों ने अपनी स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जो उचित पंजीकरण और वास्तविक खरीद की निगरानी के माध्यम से किसानों को पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करती है।

(vi) खरीद एजेंसियों द्वारा लगाए गए ई-खरीद मॉड्यूल के माध्यम से, किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, किसानों को किस तारीख को अपना उत्पाद खरीद केन्द्र पर लाना है, आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी मिलती है। इससे न केवल किसानों द्वारा स्टॉक की सुपुर्दगी के लिए प्रतीक्षा अवधि में कमी आती है, बल्कि किसान निकटतम मंडी में अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉक सुपुर्द करने में सक्षम भी होते हैं।

(vii) खरीद एजेंसियों द्वारा विकसित विभिन्न खरीद पोर्टलों को अब केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) में एकीकृत किया गया है, ताकि एक आवेदन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके, जिसमें निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने हेतु खरीद के संबंध में आवश्यक जानकारी एकल स्रोत पर उपलब्ध हो तथा एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

(viii) ऑनलाइन खरीद प्रणाली के फलस्वरूप किसानों तक एमएसपी का बेहतर लक्ष्यीकरण हुआ है।

(ix) आरएमएस वर्ष 2021-22 से पूरे देश में " डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी " लागू किया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे तौर पर किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है। एमएसपी के डीबीटी से जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सिस्टम में रीयल-टाइम निगरानी आई है।

(x) भारत सरकार ने भी राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन दिया है, ताकि देश भर में एमएसपी प्रचालनों की पहुंच व्यापक हो सके।

(ख) और (ग): वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान खरीदे गए गेहूं और चावल, एमएसपी मूल्य एवं लाभान्वित किसानों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 876 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गेहूं और धान की खरीद, एमएसपी मूल्य और लाभान्वित किसानों का विवरण

केएमएस/ आरएमएस	गेहूं			धान (चावल के संदर्भ में)		
	खरीदी गई मात्रा (लाख टन में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	खरीदी गई मात्रा (लाख टन में)	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
2018-19	357.95	62,104.33	40,33,463	443.99	1,16,839.47	9,705,105
2019-20	341.32	62,802.88	35,57,080	518.26	1,41,465.66	1,24,59,354
2020-21	389.92	75,059.60	43,35,972	602.45	1,69,098.72	1,31,12,458
2021-22	433.44	85,604.40	49,19,891	575.88	1,68,030.80	1,26,79,650
2022-23	187.92	37,865.88	17,83,192	568.66	1,74,370.76	1,24,97,077

*****